REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092021-229741 CG-DL-E-17092021-229741

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 526]नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 17, 2021/भाद्र 26, 1943No. 526]NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 2021/BHADRA 26, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2021

सं. 44/2021-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 640(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप-धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 21च के समक्ष, कॉलम (4) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "20%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/126/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, को सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 42/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 10 सितम्बर, 2021, जिसे

सा.का.नि. 624(अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2021

No. 44/2021- Customs

G.S.R. 640(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3, of Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 785(E)., dated the 30th June, 2017, namely,-

In the said notification, in the Table, against S. No. 21F, in column (4), for the entry, the entry "20%", shall be substituted.

[F. No CBIC-190354/126/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th day of June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 785(E)., dated the 30th day of June, 2017, and last amended vide notification No. 42/2021-Customs, dated the 10th day of September, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 624(E)., dated the 10th day of September, 2021.